संख्या- 7/ 88 /अड्तीस-9-14-500(39)/2013

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
सुल्तानपुर ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 05 फरवरी, 2014

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत किसी संस्था को विधान मण्डल के मा0 सदस्यों की संस्तुति के क्रम में रू0 25.00 लाख से अधिक की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3654/वि0नि0-मार्गदर्शन/2013-14, दिनांक-17.01.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत किसी संस्था को विधान मण्डल के मा0 सदस्यों की संस्तुति के क्रम में रू0 25.00 लाख से अधिक की धनराशि अवमुक्त करने तथा प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सार्वजनिक हित में कार्यरत होने की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन मांगे गये है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की मार्गदर्शी सिद्वान्तों विषयक शासनादेश दिनांक-14.10.2013 के प्रस्तर-4.1 में निम्न प्राविधान है:-

" विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग चिन्हित किये जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते है, बशर्ते कि किसी 01 कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो। "

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित प्राविधानों तथा शिक्षण संस्थाओं के लिये इस योजनान्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति दिये जाने से पूर्व शासनादेश संख्या-1/1165/अड्तीस-9-13-04(नियम)/2013टी0सी0, दिनांक-18.11.2013 द्वारा किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 7/88 (1)/अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://sbagrideshup.nic.in